प्रपत्र–2
परिशिष्ट

(देखिय नियम–6)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की
धारा–2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

परियोजना का नामः– कृषि उत्पादन मण्डी समिति, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल का विस्तारीकरण कार्य

भाग–1
(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :–

1.		
	क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव /परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	कृषि उत्पादन मण्डी समिति, हल्द्वानी, नैनीताल का विस्तारीकरण कार्य।
	ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस–पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	मानचित्र प्रस्ताव में संलग्न है।
	ग) परियोजना की लागत।	रू0 8963.56 लाख ।
	घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	मण्डी समिति, हल्द्वानी के विस्तारीकरण हेतु अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने के कारण ।
	ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जानेके लिए)	शासनादेश की छायाप्रति संलग्न है।
	च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	4000 लोगों को अस्थाई रोजगार प्राप्त होगा।
2.	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरणः	आरक्षित वन भूमि 10 है0 (तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, हल्द्वानी)।
3.	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है	लागू नहीं
	क) परिवारों की संख्या	लागू नहीं
	ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	लागू नहीं
	ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	लागू नहीं

4.	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हां/नही)	नहीं।
5.	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये)	संलग्न है।
6.	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावजेजों का व्यौरा।	संलग्न है।

दिनांक 19-12-2014

प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर

स्थान–हल्द्वानी

(विनोद कुमार लोहुमी)

सचिव,
कृषि उत्पादन मण्डी समिति
हल्द्वानी (नैनीताल)

प्रस्ताव की कम संख्या.....

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

प्रपत्र– 2.1

भाग– II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या....................

7. परियोजना/स्कीम का स्थान

i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड ।
ii)	जिला	नैनीताल।
iii)	वन प्रभाग	तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, हल्द्वानी।
iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में	10 है0
v)	वन की कानूनी स्थिति	आरक्षित वन भूमि।
vi)	हरियाली का घनत्व	10 से 40 प्रतिशत
vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0 – 8 मी0 पर परिगणना भी संलग्न किए जाए ।	संलग्न है ।
viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	उल्लिखित क्षेत्र मैदानी क्षेत्र है और भूक्षरण के लिये संवेदनशील नहीं है।
ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी ।	वन सीमा के अन्तर्गत (मानचित्र संलग्न है)
x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयॉ अनुबन्धित की जाए)	उत्तराखण्ड शासन वन एवं पर्यावरण अनुभाग –2 सं0 1777/1(2) व0ग्रा0 वि0/2002–19 (9)/2002 दिनांक 28.10.2002 के द्वारा उक्त क्षेत्र हाथी रिजर्व के अन्तर्गत घोषित किया गया है। उक्त क्षेत्र हाथी कोरीडोर नहीं है।
xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ /संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियॉ पाई जाती है यदि हां/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	नहीं।
xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/ रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हॉ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण–पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या	नहीं।

8–	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	न्यूनतम है ।
9–	क्या अधिनियम के उल्लघंन में कोई कार्य किया गया है (हॉ/नहीं) यदि हॉ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लघंन सम्बन्धी कार्य अभी भी चह रहे हैं।	नहीं।

10–	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौराः–	
i.	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस–पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्ड का आकार।	संलग्न है। (1 पैच)
ii.	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस–पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	संलग्न है।
iii	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।	संलग्न है।
iv	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	
v	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण–पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)।	संलग्न है।
11–	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिर्पोट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	संलग्न है।
12–	प्रभाग/जिला प्रोफाइल	
i.	जिला का भौगोलिक क्षेत्र।	नैनीताल 3422.00 वर्ग कि0मी0 ।
ii.	जिला का वन क्षेत्र।	जनपद नैनीताल में तराई केन्द्रीय वन प्रभाग का क्षेत्रफल 22719.63 है0।
iii.	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र।	18 मामलों में 38.80 है0।
iv.	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण	रिक्त ।
(क)	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	रिक्त ।
(ख)	वनेत्तर भूमि पर ..... तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति	
(क)	वन भूमि पर	38.80 है0
(ख)	वनेत्तर भूमि पर	225.50 रो0 कि0मी0 अन्य प्रभागों द्वारा किया गया है।
13–	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	क्षेत्र विकास हेतु वन भूमि हस्तांतरण की संस्तुति की जाती है।

दिनांक 21-11-2014

हस्ताक्षर

[सनातन]

सरकारी मोहर

प्रभागीय वनाधिकारी
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग
हल्द्वानी

स्थान– हल्द्वानी

प्रपत्र–2.2

भाग– ।।।

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14– स्थल, जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है ? (हॉ/नहीं) यदि हॉ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

15– क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग–ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

16– प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

संस्तुति सहित

हस्ताक्षरः

तिथि.....

स्थान– हल्द्वानी

सरकारी मोहर

प्रपत्र– 2.3

भाग–IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष,
वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17– टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।
(राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)

हस्ताक्षरः

तिथि :

नाम और पदनाम

स्थान– हल्द्वानी

सरकारी मोहर

प्रपत्र–2.4

भाग–V

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

17– राज्य सरकार की सिफारिशः
(उपर्युक्त भाग–।। या भाग–।।। या
भाग–**IV** में किसी अधिकारी या प्राधिकारी
द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर
विशिष्ट टिप्पणी की जाए)

हस्ताक्षरः

तिथि :

नाम और पदनाम

स्थान– हल्द्वानी

सरकारी मोहर